

प्रेषक :- जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
वांसवाड़ा (राज.)

प्रेषित :-

1. न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, वांसवाड़ा।
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, वांसवाड़ा।
3. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष पोक्सो न्यायालय, वांसवाड़ा।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, वांसवाड़ा/कुशलगढ़।
5. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वांसवाड़ा।
6. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वांसवाड़ा।
7. अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वांसवाड़ा।
8. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुशलगढ़/वागीदौरा।
9. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, घाटोल।
10. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वांसवाड़ा/वागीदौरा/गढ़ी/ आनन्दपुरी।
11. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वांसवाड़ा।
12. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, गढ़ी/तलवाड़ा।

विषय :- Regarding framework about training on Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023.

प्रसंग :- माननीय राजस्थान स्टेट ज्युडिशियल एकेडमी, जोधपुर के पत्रांक RSJA/Acy/Trng/2024/432 Dated 05.03.2024 एवं इस कार्यालय के पृष्ठांकन 1790 से 1808 दिनांक 05.03.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय राजस्थान स्टेट ज्युडिशियल एकेडमी, जोधपुर के उक्त प्रासंगिक पत्र में दिए गए निर्देशों की पालना में "Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 and Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023" के संबंध में विस्तृत चर्चा के क्रम में दिनांक 01.04.2024 से 06.04.2024 तक कार्यालय समय पश्चात् 05 पी.एम. से 06 पी.एम. के मध्य में जरिये विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की जानी प्रस्तावित हैं। वांसवाड़ा न्यायक्षेत्र में पदस्थापित समस्त न्यायिक अधिकारीगण उक्त दिनांक को निर्धारित समय पर जरिये विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त बैठक में आवश्यक रूप से उपस्थित रहेंगे। दिनांक 01.04.2024 से 06.04.2024 के मध्य होने वाली विडियों कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में निम्नांकित न्यायिक अधिकारी द्वारा Indian Evidence Act के निम्न अध्याय/विन्दू पर व्याख्यान दिया जावेगा :-

क्र.स.	न्यायिक अधिकारी का नाम मय पद	व्याख्यान दिए जाने की दिनांक	अध्याय/विन्दू जिस पर व्याख्यान दिया जावेगा
1.	श्री नवीन मीणा, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, वागीदौरा	दिनांक 01.04.2024	PART - III CHAPTER VI दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में
		दिनांक 02.04.2024	PART - IV CHAPTER VII साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव
		दिनांक 03.04.2024	CHAPTER VIII विवन्ध
		दिनांक 04.04.2024	CHAPTER IX साक्षियों के विषय में
		दिनांक 05.04.2024	CHAPTER X साक्षियों की परीक्षा के विषय में
		दिनांक 06.04.2024	CHAPTER XI साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में CHAPTER XII निरसन और व्यावृत्ति

विडियों कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित लिंक सभी पीठासीन अधिकारी के वॉट्सएप पर पृथक से प्रेषित कर दी जावेगी। साथ ही उक्त अवधि में अदकाश पर रहने वाले न्यायिक अधिकारीगण उक्त ट्रेनिंग प्रोग्राम (जरिये विडियों कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से) में आवश्यक रूप से जुड़े, जिससे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान स्टेट ज्युडिशियल एकेडमी के आदेश की पालना की जा सके।

भवदीय,


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
वांसवाड़ा (राज.)
क्रमश : 02

क्रमांक/स्था./2024/2316

दिनांक : 28.03.2024

प्रतिलिपि सिस्टम असिस्टेंट, जिला एवं सेशन न्यायालय, वांसवाड़ा को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
वांसवाड़ा (राज.)

A handwritten signature in blue ink is written over the typed name of the District and Sessions Judge. Below the signature, the date '28/3/2024' is written in blue ink.